निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा,जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – कैलाश चन्द गुर्जर(आर०ए०एस०)

प्रकरण – प्रार्थना पत्र संख्या – 01/2020

अनवान

1. बालचंद पिता रतनलाल धाकड़ उम्र 65 वर्ष पेशा काश्त निवासी ग्राम कोटड़ा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश महोदय चितौडगढ।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार रावतभाटा चित्तौड़गढ

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा०ले०रे०एक्ट एवं धारा 88 आर०टी०ए०

उपस्थित – श्री पी.के. बिल्लू अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय दिनांक 23.03.2022

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 व 88 के अन्तर्गत वाद पत्र दिनांक 25.09.2019 को विपक्षी के विरुद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कोटडा पटवार हल्का बडौदिया स्थित खाता संख्या 68 में अंकित आराजी नंबर 151 रकबा 0.91 है० वादी के नाम खातेदारी में दर्ज है जिसमे प्रार्थी की पत्नि ललता बाई भी सह खातेदार है। इस भूमि पर प्रार्थी ने बैंक ऑफ बडौदा शाखा झालरबावडी से ऋण भी ले रखा है। प्रार्थी ग्राम कोटडा प०ह० बडौदिया के खाता संख्या 86 खसरा संख्या 81 रकबा 1.53 है० व खसरा संख्या 82 रकबा 1.50है० कुल किता 02 रकबा 3.03 है० भूमि मे वादी का नाम मांगीलाल पिता रतना धाकड़ अंकित है। मुझ प्रार्थी के दादाजी का नाम खेमा धाकड है। एवं खेमा जी व रतना जी धाकड का निधन हो चुका है वादी रतना जी का एक मात्र जाईदा पुत्र है। वादी का नाम बालचन्द है। बचपन में प्रार्थी को मांगीलाल कहते थे, इसलिए राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 86 में प्रार्थी का नाम मांगीलाल पुत्र रतना धाकड़ लिखाई में आ गया है। जबकि खाता संख्या 68 में प्रार्थी का नाम सही बालचन्द अंकित है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड में भी प्रार्थी के बालचंद पिता रतना धाकड़ ही अंकित है। जिससे प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जो कि गलती से मांगीलाल दर्ज कर दिया गया है के स्थान पर सही नाम बालचन्द अंकित कराने का अधिकारी है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण दोनो राज्य सरकार के प्रतिनिधी है,प्रार्थी नाम दुरूस्त करने हेतू दोनो प्रातिवादीगणों को नियमानुसार धारा 80 दि०प्र० सं० का नोटिस दिनांक 19.07.2019 को प्रेषित करवाया था, लेकिन प्रार्थी का नाम मांगीलाल के स्थान पर बालचंद नही किया इसीलिए प्रार्थी की ओर से उक्त वाद–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 19.07.2019 से वाद कारण पैदा होकर निरन्तर जारी है। अन्त में प्रार्थी का वाद– पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के का नाम मांगीलाल पिता रतना धाकड़ के बजाय बालचंद पिता रतना धाकड़ लिखे जाने की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जाकर वादी का नाम बालचंद पिता रतना धाकड़ उक्त भूमि का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड मे भी इन्द्राज किये जाने की डिक्री करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रावतभाटा द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की जांच कराई गई, तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार मांगीलाल एवं बालचंद दोनो अलग–अलग व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति है। बालचंद को बचपन में मांगीलाल भी कहते थे वादी का नाम मांगीलाल के बजाय बालचंद किया जाना न्यायोचित बताया है। ग्राम पंचायत बडोदिया के सरपंच द्वारा भी रिपोर्ट में मांगीलाल एवं बालचंद दोनो एक ही व्यक्ति होना प्रमाणित किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से भी वादी का नाम बालचंद होना प्रकट है, वादी राजस्व रिकार्ड में स्वयं का नाम बालचंद पिता रतना धाकड़ अंकित कराना चाहता है। जिसका उसे अधिकार है।

हमने वाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। हस्ब रिपोर्ट तहसीलदार रावतभाटा अनुसार व ग्राम पंचायत बडोदिया तहसील रावतभाटा तथा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों से वादी के कथनों की पुष्टि होती है। जिससे राजस्व रिकार्ड में अंकित प्रार्थी का नाम मांगीलाल पिता रतना धाकड़ के स्थान पर प्रार्थी का वास्तविक नाम बालचंद पिता रतना धाकड किया जाना न्यायोचित होने से वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कोटडा पटवार मण्डल बडौदिया की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की खतौनी संख्या 86 खसरा संख्या 81, 82 में कुल किता 02 रकबा 3.03 है0 भूमि में अंकित वादी का नाम मांगीलाल पिता रतना धाकड़ के बजाय बालचंद पिता रतना धाकड़ दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, तथा बालचंद पिता रतना धाकड़ को उक्त भूमि का खातेदार घोषित कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2022 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ़

Scanned with CamScanner